(नियम–26)

अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
मोहनदान पुत्र शिवदान जाति चारण, निवासी करणीसर तहसील शिव, जिला बाड़मेर		नारायणदान पुत्र शिवदान जाति चारण, निवासी करणीसर तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (03)

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन (धारा 212) **मुकदमा नम्बर** 173 / 2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.05.2026	प्रार्थी अधिवक्ता श्री बालाराम गोदारा द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया है, जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण जरीये नोटिस तलब हो। स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय अंतरिम बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी के खेत मौजा करणीसर, तहसील शिव के खसरा नम्बर 606 / 194, 607 / 194, 698 / 607 रकबा क्रमशः 20.5580, 3.8040, 0.0728 हैक्टेयर के आये हुए है। उक्त विवादित आराजी में पक्षकारान् के खातेदारी हिस्से खुले हुए है। उक्त विवादित आराजी में प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि में मौके पर काबिज काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। उक्त विवादित आराजी में वर्तमान में विप्रार्थीगण, प्रार्थी की खातेदारी भूमि एवं कब्जा काश्त में दखलंदाजी पैदा की जाकर निर्माण कार्य कर प्रार्थी को बेदखल करने तथा भूमि को अजनबी क्रेताओं को बैचान करने पर आमादा है तथा जबकि विप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यदि विप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तथा प्रार्थी के खातेदारी हक हिस्सा व कब्जा काश्त में बलपूर्वक प्रवेश कर प्रार्थी को बेदखल किया जाता है अथवा जबरन निर्माण कार्य किया जाता है तो इससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कीमत पर अदा नहीं की जा सकती। अतः समस्त परिस्थितियों में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्वांत प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थी के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी / हस्तक्षेप नहीं करने तथा वर्तमान मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा सादिर फरमाई जावें। हमने प्रार्थी अधिवक्ता की अंतरिम बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी विवादित आराजी का रेकर्डेड खातेदार होने तथा मौके पर अपने हक हिस्सा में काबिज काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। यदि विप्रार्थीगण द्वारा संयुक्त खातेदारी में प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलदांजी पैदा की जाकर उन्हें बेदखल किया जाता है या निर्माण कार्य किया जाता है अथवा बैचान आदि किया जाता है तो इससे अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होने से इंकार नही किया जा सकता। साथ ही मौके पर तनाव व विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की आंशका रहेगी तथा प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात होगा। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को आरजी तौर पर स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नही होती है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आरजी / आंशिक तौर पर स्वीकार किया जाकर मौजा करणीसर, तहसील शिव के खसरा नम्बर 606 / 194, 607 / 194, 698 / 607 रकबा क्रमशः 20.5580, 3.8040, 0.0728 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलदांजी नही करने, किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करने तथा वर्तमान मौका एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आशय का अस्थाई अंतरिम स्थगन आदेश आगामी तारीख पेशी तक जारी किया जाता है। पत्रावली वास्ते विप्रार्थीगण के सम्मन / नोटिसों का इन्तजार होकर आइन्दा दिनांक 18.05.26 को पेश हो। सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)	

सहायक कलक्टर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम ... हुक्म ... में जारी ...
18.05.26	पत्रावली पेश। प्रार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली में प्रार्थी व प्रार्थी वकील द्वारा वर्तमान में पक्षकारान् के मध्य सहमति हो जाने से पूर्व में जारी अंतरिम निषेधाज्ञा को समाप्त किया जाकर उक्त आवेदन जरिये डिक्री खारिज करने का निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि पूर्व में दिनांक 11.05.26 को न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन में अंतरिम स्थगन जारी किया गया है किन्तु वर्तमान में प्रार्थी व प्रार्थी वकील द्वारा उक्त आवेदन जरिये डिक्री खारिज करने का निवेदन किया गया है तथा पत्रावली तामिली की प्रारंभिक स्टेज पर है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थी की बहस को स्वीकार किया जाकर उक्त आवेदन इसी स्टेज पर जरिये डिक्री खारिज किया जाता है साथ ही पूर्व में जारी अंतरिम निषेधाज्ञा को समाप्त किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)	T.I. डिक्री की जारी हो मोहनदान